कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./कॉलेज/एफ–677(06)/A190024/ /2020 भोपाल, दिनांक .02.2020

संशोधित आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए **मयंक वेलफेयर सोसायटी** के द्वारा संचालित **इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, इन्दौर** को **इन्दौर** जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2019–20 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त **अस्थायी अनुज्ञा** प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST-GRADUTE	05
02	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHOPAEDIC)	POST-GRADUTE	05
03	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (CARDIOTHORASIC)	POST-GRADUTE	05
04	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEUROLOGY)	POST-GRADUTE	05
05	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
06	BACHELOR MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
07	Diploma MEDICAL LAB. TECHNICIAN	Diploma	50
08	Diploma OPTROMETRIC REFRACTION	Diploma	50
09	Diploma DIALYSIS TECHNICIAN	Diploma	50
10	Certificate X-RAY TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
11	Certificate OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
12	Certificate C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
13	Certificate ULTRA SOUND TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
14	Certificate HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE	CERTIFICATE	50

आवश्यक निर्देश :–

1. संस्था को म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम–विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम **तिथि 02 मार्च 2020** तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेगें।
2. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद के नियम–विनियम अनुरुप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
3. संस्था द्वारा म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन/परिषद की ओर से समय–समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
5. संस्था को उपरोक्त समस्त सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों मे प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि तक म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद को दिनांक **02 मार्च 2020** तक अनिवार्य रुप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्भ शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
6. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

7. उपरोक्त आदेश जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर संस्था को **म.प्र.सह–चिकित्सीय परिषद, के पक्ष में सावधि जमा** बैक–सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जी.टी.व्ही. काम्पलेक्स, न्यू मार्केट, भोपाल के **खाता क्र. 3716746750 आई.एफ.सी. कोड नं. CBIN0281013 में राशि रुपये ग्यारह लाख** की सावधि जमा कर बैक द्वारा आवश्यक सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. डिप्लोमा सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को परिषद में नामाकंन (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय नामाकंन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।
10. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–33 (1) (2) एवं (3) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में संस्था में पूरे किये जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यिार्थियो से अपेक्षित प्रवीणता या संस्था में कर्मचारीवृन्द, उपस्कर बस सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाये मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित स्तरो के अनुरूप नही पाए जाने पर सह चिकित्सीय संस्था को सह चिकित्सीय पाठयकमों के संचालन बाबत् दी गई अनुज्ञा/मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
11. निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि स्वरुप राशि जमा कराये जाने की सत्यापन प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद मे प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों का ऑन लाईन प्रवेश फार्म स्वीकार नही किया जाएगा।

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

क्र./कॉलेज/एफ–677(06)/A190024/744/2020 भोपाल, दिनांक 22.02.2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
7. संचालक,चिकित्सा शिक्षा, छठवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला– इन्दौर।
9. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
10. कुलसचिव, देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय, इन्दौर।
11. अधिष्ठाता, शा. महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– इन्दौर।
13. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला– इन्दौर।
14. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला– इन्दौर।
15. Director, National Information Center, Madhya Pradesh, State Center Vindhyachal Bhawan, Bhopal
16. **संचालक, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर,मयंक वेलफेयर सोसायटी,इंडक्स सिटी, खुदेल के पास, एन.एच.–59 ए, नेमावर रोड जिला इन्दौर।**
17. संचालक, एम.पी.ऑनलाईन, डेवलपमेंट कार्यालय, तृतीय तल, स्टेट आईटी पार्क, अब्बास नगर, नियर आर.जी.पी.वी.गांधी नगर, भोपाल। (उक्तानुसार प्रवेश फार्म संबंधी आगामी कार्यवाही हेतु।)
18. आदेश फाईल

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद